DR Krishnadeo kumar bharti
Assistant professor (G.T)
Dept of Political science
C.M.j College Donwarihat
Khutauna, Madhubani
Email-Kdkbharti08@gmail.com
B.A Part-3 Date---07-08-2020
Mo.No--9234999361

संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के संगठन और कार्य की विवेचना करें।

महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, साधारण सभा है।यह संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका कहलाती है।सीनेटर वैथेडन वर्ग के अनुसार यह--"संसार की नगर सभा है।आरम्भ में इस सभा के मात्र *50* सदस्य थे।आज इसकी सदस्य संख्या *155* से भी अधिक हो गई है।प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार है।वर्ष में एक बार सितंबर माह में इसकी वैठक होती है।बहुमत की माँग पर इसका विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है।महत्वपूर्ण प्रश्नों के सम्बन्ध मे करवाई के लिए दो तिहाई मतों की आवश्यकता होती है।अन्य प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से ही होता है।साधारण सभा का कार्य समितियों के द्वारा होता है।

*1.*राजनीतिक तथा सुरक्षा परिषद
*2.*आर्थिक तथा वित्तीय
*3.*सामाजिक तथा मानवीय
*4.*संरक्षण
*5.*प्रशासनिक एवं बजट सम्बन्धी
*6.*कानूनी समिति
*7.*विशेष राजनीतिक समिति

इसके अतिरिक्त दो अन्य प्रक्रियात्मक समितियाँ हैं

१.सामान्य समिति जो उपर्युक्त समितियों की कार्यवाहियों मे सम्बन्ध स्थापित है
२.प्रमाण पत्र समिति जो प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों की जाँच करती है।

महासभा के महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित है

*1.*शांति एवं सुरक्षा सम्बन्धी सिफारिशें
*2.*विभिन्न अंगों के लिए सदस्यों का चुनाव
*3.*नये सदस्यों का प्रवेश
*4.*सदस्यों का निलम्बन तथा निष्कासन
*5.*न्याय सम्बन्धी प्रश्न
*6.*बजट सम्बन्धी मामले

महासभा के एक अध्यक्ष अथवा सभापति होते हैं एवं *7*उपसभापति होते है।इसका चुनाव सभा स्वयं प्रतिवर्ष एक वर्ष के लिए करती है इसके प्रथम अधिवेशन का सभापति का पद श्री पॉल हेनरी ने संभाला था।

संयुक्त राष्ट्रसंध के चार्टर की धारा *10* से लेकर *17* तक मे महासभा की शक्तियों का उल्लेख किया गया है ये शक्तियाँ इस प्रकार है---

1. वह संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक विषय पर विचार विमर्श करने का अधिकार रखती है।
*2.*वह सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों एवं न्याय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करती है।
*3.*वह सुरक्षा परिषद के सिफारिश से संध के महासचिव की न्युक्ति करती है।
*4.*वह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए न्यायधीशों का निर्वाचन करती है।
*5.*वह उन प्रतिवेदनों पर विचार करती है जो महासचिव सुरक्षा परिषद तथा अन्य समितियों उनके सम्मुख प्रस्तुत करती है।

महासभा के अन्तर्गत एक लघु सभा की स्थापना भी *1947* में हुई जिसका पुनर्गठन *1949* मे किया गया।लघु सभा में सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि होते है महासभा का जब अधिवेशन नहीं होता है तब यह लघु सभा कार्य करती है।

साधारण सभा के कार्य और अधिकार बहुत ही विस्तृत हैं।इसको चार भागों में बाँटा जा सकता है--

*1.*विश्व शांति कायम रखने का प्रयास करना
*2.*संयुक्त राष्ट्र संघ के विविध पदाधिकारियों का चुनाव करना
*3.*संयुक्त राष्ट्र संघ से सम्बन्ध
*4.*सभी संस्थाओं के कार्यों पर निगरानी रखना तथा अन्य कार्य।

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ साधारण सभा का अधिकार काफी विस्तृत है, परन्तु चार्टर के द्वारा उन अधिकारों उन अधिकारों को काफी सिमित कर दिया गया है।उदाहरण के लिए साधारण सभा ऐसे विवाद अथवा परिस्थिति जो सुरक्षा परिषद के सामने पेश हो,परन्तु तब तक कोई विचार नहीं कर सकती जब तक सुरक्षा परिषद उसे इसके लिए अनुमति नहीं दे।साधारण सभा कोई संसद नहीं है इसलिए उसके प्रतिनिधि सिर्फ विचार दे सकते हैं, किन्तु ऐसा कोई नियम या कानून नहीं बना सकते जो किसी राज्य को कुछ करने पर बाध्य कर सके।अतः महासभा के निर्णय बाध्यकारी नहीं है इसे शांति स्थापित करने में पूरी सफलता नहीं मिली है।इन सारी असफलताओं के बावजूद यह कहा जा सकता है कि महासभा को "एकता प्रस्ताव "से महान शक्ति प्राप्त हो गई है और वह सुरक्षा परिषद के अधूरे कार्य को पूर्ण कर सकती है क्योंकि सुरक्षा परिषद *Veto* के चलते अपने कार्य को पूरा नहीं कर सकता। एम.जी.गुप्ता ने ठीक ही कहा है कि--इसने सामान्य सभा को इस योग्य बना दिया है कि वह सुरक्षा परिषद के महत्व को शांति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वहीन बना दे तथा अन्य मामलों में भी इसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को केन्द्रित संस्था के बजाय महासभा को केन्द्रित संस्था बना दिया है।

आगे, धन्यवाद।

2020-08-07
From vivo Note

Scanned with CamScanner